भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 557

26 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए नियत

कार्बन और जल न्यूट्रल भारी उद्योग

557. श्री बी. पार्थसारधी रेड्डी:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारी उद्योग सरकारी उपक्रमों (पीएसयू) को निवल शून्य और जल-न्यूट्रल कंपनियों में परिवर्तन करना अनिवार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो उन भारी उद्योग पीएसयू का ब्यौरा क्या है जिन्होंने परिवर्तन शुरू कर दिया है;

(ग) क्या सरकार ने भारी उद्योगों को उत्सर्जन और जल उपयोगिता मूल्यांकन कराना अनिवार्य किया है; और

(घ) यदि हां, तो पीएसयू-वार मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): भारी उद्योग मंत्रालय ने ऐसे कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं। तथापि, भारी उद्योग मंत्रालय के महारत्न सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने वर्ष 2047 तक कार्बन उत्सर्जन को निवल शून्य रखने का संकल्प लिया है।

(ग) और (घ): भारी उद्योग मंत्रालय ने ऐसे कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं।
